



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक 09.06.2024

**थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 178/24 धारा 323/307/427/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07/05/2024 को वादी श्री खूबसिंह पुत्र नत्थन सिंह निवासी ग्राम तकीपुरा थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त सत्यवीर पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम तकीपुरा पुरन थाना नहतौर जनपद बिजनौर वादी की कृषि भूमि पर खडें चारे की जुताई ट्रैक्टर से कर रहा था। वादी व वादी के परिजनों द्वारा चारे की जुताई सत्यवीर उपरोक्त को करने के लिए मना किया गया तो वहां पर मौजूद परसुराम व बुदेश पुत्रगण चन्द्रपाल ने गाली गलौच की जान से मारने की नीयत से वादी के परिजनों पर धारधार हथियारो से वार किया व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 178/24 धारा 323/307/427/504/506 भादवि बनाम सत्यवीर, परसुराम व बुदेश उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



### कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.06.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 178/24 धारा 323/307/427/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त सत्यवीर सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम तकीपुरा पुरन थाना नहतौर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त फावड़ा सहित गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सत्यवीर सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम तकीपुरा पुरन थाना नहतौर जनपद बिजनौर

### बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त फावड़ा।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 312 किशन सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर

3.का0 1858 मनीष कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर

4.का0 1276 राहुल यादव थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 09.06.2024

**थाना नहतौर पुलिस ने मु0अ0सं0 219/24 धारा 147/148/34/302/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.06.2024 को वादी श्री शादाब आलम पुत्र शमीम अहमद निवासी मौ0 तकिया गढ़ी पश्चिमी कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि दिनांक 05.06.2024 को अभियुक्तगण 1.वसीम पुत्र अब्दुल रशीद 2.मुकीम पुत्र वसीम 3.शहबाज पुत्र वसीम 4.असद पुत्र वसीम 5.अनस पुत्र वसीम 6.मुस्तकीम पुत्र वसीम 7.अमन पुत्र वसीम 8.उजैफ पुत्र वसीम 9.शन्नो पत्नी वसीम 10.किश्वर पुत्री वसीम 11.अलीम पुत्र जमालुद्दीन निवासीगण मौहल्ला तकिया गढ़ी पश्चिमी कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर 12.तालिब पुत्र अकील निवासी मौहल्ला शेखान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पिता शमीम अहमद के साथ मारपीट की गयी तथा इसके पश्चात अभियुक्तगणों द्वारा एक राय होकर वादी के बड़े भाई दिलशाद अहमद के साथ गाली – गलौच की गयी तथा जान से मारने नियत से लाठी, डंडो से वादी के बड़े भाई दिलशाद अहमद के साथ मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया, जिससे दिलशाद अहमद की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी । तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 219/24 धारा 147/148/34/302/323/504/506 भादवि बनाम वसीम आदि कुल 12 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.वसीम पुत्र अब्दुल रशीद 2.शहबाज पुत्र वसीम निवासीगण मौ0 तकिया गढ़ी पश्चिमी कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है ।

### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.06.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता शन्नो पत्नी वसीम निवासी मौ0 तकियागढ़ी पश्चिमी कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

शन्नो पत्नी वसीम निवासी मौ0 तकियागढ़ी पश्चिमी कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.श्री धर्मेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.म0उ0नि0 रीनू पंवार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 2482 अक्षय क मार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 4.कां0 830 धर्मेन्द्र कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नूरपुर

दिनांक- 09.06.2024

**थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 236/2024 धारा 307/323/504/506 भादवि में  
वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.06.2024 को वादी श्री बृहमपाल सिंह पुत्र जगराम सिंह निवासी ग्राम मोरला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त 1.जसवीर सिंह पुत्र नैनसिंह 2. प्रिन्स पुत्र जसवीर व 3.प्रयाशु पुत्र जसवीर सिंह निवासीगण ग्राम मौरला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली गलौच कर मारपीट की तथा वादी के सिर पर जान से मारने की नीयत से तवल (गंडासे) से वार किया जिससे वादी के सिर में गम्भीर चोटें आयी तथा जान से मारने की धमकी दी । तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 236/2024 धारा 307/323/504/506 भादवि बनाम जसवीर, प्रिन्स व प्रयांशु उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.06.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 236/2024 धारा 307/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त 1.जसवीर सिंह पुत्र नैनसिंह निवासी ग्राम मौरला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2. प्रिन्स पुत्र जसवीर निवासी ग्राम मौरला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.जसवीर सिंह पुत्र नैनसिंह निवासी ग्राम मौरला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.प्रिन्स पुत्र जसवीर निवासी ग्राम मौरला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 देवी प्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. हे0का0 823 प्रमोद कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. हो0गा0 1323 बब्बरभान सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर





प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 09.06.2024

**जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	धामपुर	दीपक पुत्र उदयराज निवासी ग्राम हाईड्रिल कॉलोनी थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
2	धामपुर	आदिल पुत्र तसलीम निवासी ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
3	धामपुर	सईद उर्फ लाला पुत्र बाबू निवासी मौ० पककाबाग थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
4	धामपुर	भीष्म पुत्र बालमुकुन्द सिंह निवासी ग्राम पाडली माण्डू थाना धामपुर जनपद बिजनौर
5	कोतवाली देहात	सुनील पुत्र महावीर निवासी ग्राम दयालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।



थाना धामपुर



थाना धामपुर



थाना कोतवाली देहात



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 09.06.2024

**थाना नगीना पुलिस ने शातिर चोर / हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की सघन चेकिंग हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 08/09.06.2024 की रात्रि में थाना नगीना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त शहजाद पुत्र यूसुफ निवासी मौहल्ला कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू व फर्जी नं0 प्लेट UP25Q5478 लगी मोटरसाइकिल (वास्तविक नं0 UK06AE1694) सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बंध



में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 171/2024 धारा 420/411/414/465/482 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम शहजाद उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है । अभियुक्त शहजाद शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बिजनौर के थाना नगीना व नगीना देहात पर लूट, चोरी, शस्त्र अधिनियम आदि गम्भीर धाराओं में करीब 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत है । अभियुक्त शहजाद थाना नगीना का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर है, जिसकी हिस्ट्रीशीट संख्या 129A है ।

अभियुक्त शहजाद ने पूछताछ में बताया कि उसने यह मोटरसाइकिल काफी समय पहले काशीपुर से चोरी की थी तथा इसकी पहचान छिपाने के लिये वास्तविक नंबर प्लेट हटाकर फर्जी नंबर प्लेट लगा दी थी ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शहजाद पुत्र यूसुफ निवासी मौहल्ला कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर

### बरामदगी –

चोरी की मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UK06AE1694

एक अवैध चाकू

### अभियुक्त शहजाद का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 210/17 धारा 380/411 भादवि थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 211/17 धारा 380/411 भादवि थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 75/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

- 4.मु0अ0सं0 127/19 धारा 380/411 भादवि थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 5.मु0अ0सं0 160/19 धारा 392/411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 6.मु0अ0सं0 229/19 धारा 380/411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 7.मु0अ0सं0 278/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 8.मु0अ0सं0 359/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 9.मु0अ0सं0 288/20 धारा 457/380/452 भादवि नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 10.मु0अ0सं0 48/20 धारा 380/411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 11.मु0अ0सं0 49/20 धारा 380/411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 12.मु0अ0सं0 51/20 धारा 380/352 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 13.मु0अ0सं0 55/20 धारा 307/504 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 14.मु0अ0सं0 57/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 15.मु0अ0सं0 126/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 16.मु0अ0सं0 334/21 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 17.मु0अ0सं0 482/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 18.मु0अ0सं0 89/22 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 19.मु0अ0सं0 173/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 20.मु0अ0सं0 40/22 धारा 3(1) गुण्डा अधि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 21.मु0अ0सं0 171/2024 धारा 420/411/414/465/482 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 सरवेज खाँ थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1580 ललित थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1101 कौशलेन्द्र सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नांगल

दिनांक- 09.06.2024

थाना नांगल पुलिस ने मु0अ0सं0 109/2024 धारा 307/341/504/506 भादवि में  
वांछित 02 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

**संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 02/06/2024 को वादी श्री चमनसिंह पुत्र रमेश सिंह नि0 ग्राम बाकरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.यशपाल पुत्र जगराम 2.रामपाल सिंह पुत्र जगराम सिंह निवासीगण बाकरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर व 02 बाल अपचारियों द्वारा वादी की पुत्री का रास्ता रोकना व वादी के पुत्र दीपांकर के साथ गाली गलौच व मारपीट करना व जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से वार किया । तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 109/2024 धारा 307/341/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

**कार्यवाही:-**

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.06.2024 को थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

02 बाल अपचारी

**पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम :-**

- 1.उ0नि0 योगेश कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर
2. का0 1878 अंकित सैनी थाना नांगल जनपद बिजनौर
3. का0 1211 संजय सैनी थाना नांगल जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नगीना देहात

दिनांक 09-06-2024

**थाना नगीना देहात पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र व मोबाइल सहित किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.06.2024 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त आकाश पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम टांडामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को एक मोबाईल फोन, एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर



सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नगीना देहात पर 122/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम आकाश उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

आकाश पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम टांडामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

### बरामदगी का विवरण:-

1. एक मोबाईल फोन
2. एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1- उ0नि0 बबलू सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 2- हे0का0 31 अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 3- हे0का0 134 सौरभ कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 09.06.2024

**थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 159/24 धारा 323/308/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.06.2024 को वादी श्री मनोज कुमार पुत्र भजन सिंह निवासी ग्राम काजीवाला थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.बन्टी पुत्र भूपेन्द्र सिंह 2.योगेश पुत्र देवेन्द्र सिंह 3.लक्ष्मण पुत्र राजेन्द्र 4.भूपेन्द्र पुत्र कलवा निवासीगण ग्राम काजीवाला थाना नगीना जनपद बिजनौर ने वादी की पत्नी सविता देवी व पुत्रवधु रचना देवी के साथ गाली – गलौच करते हुए मारपीट की तथा अभियुक्त योगेश ने वादी की पत्नी के सिर में डंडा मार दिया, जिससे वादी की पत्नी मौके पर ही बेहोश हो गयी । तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 159/24 धारा 323/308/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.06.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.बन्टी पुत्र भूपेन्द्र 2.भूपेन्द्र पुत्र कलवा निवासीगण ग्राम काजीवाला थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- 1.बन्टी पुत्र भूपेन्द्र निवासी ग्राम काजीवाला थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.भूपेन्द्र पुत्र कलवा निवासी ग्राम काजीवाला थाना नगीना जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 विनोद कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.कां0 2519 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1571 सुरजीत सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 09.06.2024

**थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 169/24 धारा 376 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.06.2024 को वादिनी द्वारा थाना नगीना पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त राहुल पुत्र लक्ष्मण सिंह प्रजापति निवासी मौ0 बहवाना कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ गलत काम किया । तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 169/24 धारा 376 भादवि बनाम राहुल उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.06.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी मौहल्ला बहवाना कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राहुल पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी मौहल्ला बहवाना कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. निरीक्षक अपराध श्री नरेश कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 विनोद कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
3. कां0 2553 विशाल कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
4. कां0 1342 गौरव कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक - 09-06-2024

**थाना मंडावर पुलिस ने मु0अ0सं0 179/24 धारा 302 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.06.2024 को वादी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी ग्राम धर्मनगरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि दिनांक 05.06.2024 को अभियुक्तगण 1.मुकेश कुमार पुत्र नन्दु निवासी ग्राम कूबडामंडी थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर व 2.अनमोल पुत्र रजनीश निवासी मौ0 गांधीनगर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर ने वादी के पुत्र अनुराग की हत्या कर दी । तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 179/24 धारा 302 भादवि बनाम मुकेश कुमार व अनमोल उपरोक्त पंजीकृत किया गया । स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त अनमोल पुत्र रजनीश निवासी मौ0 गांधीनगर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है ।



### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.06.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र नन्दु निवासी ग्राम कूबडामंडी थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुकेश कुमार पुत्र नन्दु निवासी ग्राम कूबडामंडी थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर

### अभियुक्त मुकेश का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 465/12 धारा 110जी थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर
- 2.मु0अ0सं0 150/12 धारा 354/504/506 भादवि थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर
- 3.मु0अ0सं0 1011/12 धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डागर्दी अधिनियम थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर
- 4.मु0अ0सं0 179/24 धारा 302 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री रवि तोमर थानाध्यक्ष मंडावर जनपद बिजनौर
2. हे0कां0 चैन सिंह थाना मंडावर जनपद बिजनौर
3. कां0 रिकु थाना मंडावर जनपद बिजनौर
4. आरक्षी चालक विनीत थाना मंडावर जनपद बिजनौर